

लेखापरीक्षा प्रबंधन समूह-V का प्रथम चक्र का दौरा कार्यक्रम
Focus Area Based Audit (FABA) on Land Management

लेखापरीक्षा दल क्र.- 02

- सदस्यों के नाम 1. श्री सरोज कुमार मंत्री, व.ले.प.अ MPGWB3110922
 2. श्री आर.के.श्रीवास्तव, स.ले.प.अ MPGWB3111990
 3 श्री रवि कुमार अहिरवार, स.ले.प.अ. MPGWB 3110856

प्रस्थान-भोपाल	कार्य दिवस	दिनांक 17.04. 2022
01 इकाई-कार्यालय जिलाध्यक्ष, भोपाल राजस्व (एस.एल.आर., डायवर्जन, एस.डब्लू.बी.एन., नजूल) एवं जिला भोपाल के अंतर्गत आने वाले दो तहसील कार्यालय Land Management से संबंधित अभिलेखों की जांच एवं अभिलेख प्राप्त करेंगे।	20	18.04.2022 से 17.05.2022
प्रस्थान-ग्वालियर		दिनांक 18.05. 2022
02 इकाई-कार्यालय जिलाध्यक्ष, ग्वालियर राजस्व (एस.एल.आर., डायवर्जन, एस.डब्लू.बी.एन., नजूल) एवं जिला ग्वालियर के अंतर्गत आने वाले दो तहसील कार्यालय Land Management से संबंधित अभिलेखों की जांच एवं अभिलेख प्राप्त करेंगे।	20	19.05.2022 से 16.06.2022
मुख्यालय उपस्थिति		दिनांक 17.06.2022

(अवकाश माह- अप्रैल 17, 23, 24, 30 मई- 01, 03, 07, 08, 14, 15, 16, 21, 22, 28, 29 जून- 04, 05, 11, 12)

(उप महालेखाकार/ए.एम.जी.-5 द्वारा अनुमोदित)

-हस्ता०/-
वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी
ए.एम.जी.-5 (मुख्या.)

विशेष निर्देश :

1. फाबा के लिए कवरेज अवधि तीन वर्ष अर्थात् वर्ष 2018-19 से 2020-21 तक की होगी। आवश्यकतानुसार पूर्व वर्षों का कवरेज भी शामिल किया जा सकता है।
2. सभी दल फील्ड ऑडिट का कार्य प्रारंभ किये जाने से पूर्व यह सुनिश्चित करेंगे कि लेखापरीक्षा

- इकाई के कौन से अभिलेख ऑनलाइन एवं कौन से अभिलेख ऑफलाइन/भौतिक रूप में तैयार किये जाते हैं। साथ ही उक्त अभिलेख किस स्तर के कार्यालय (जिला/ब्लाक/इकाई) में उपलब्ध हो सकेगा। तदनुरूप मूल अभिलेखों की सूची तैयार कर इकाई से प्राप्त किया जाएगा।
3. पीए/फाबा के कार्य में संलग्न दल फील्ड कार्य प्रारंभ करने से पूर्व चयनित इकाई के कार्यालय प्रमुख/अन्य प्रभारी अधिकारियों के साथ एक आनलाइन मीटिंग आयोजित करेंगे। जिससे इकाई को लेखापरीक्षा के संबंध में सूचित किया जा सकेगा। जिससे दल को इकाई के कार्यकारी परिवेश की सम्यक जानकारी तथा मूल अभिलेखों की उपलब्धता सुनिश्चित हो सकेगी।
 4. लेखापरीक्षा दल **FABA** से संबंधित योजना/कार्यों का समस्त प्राथमिक अभिलेखों की स्कैन कॉपी/फोटो कॉपी एकत्र कर तथा उनका विस्तृत विश्लेषण कर समूह अधिकारी से ई-मेल के माध्यम से अनुमोदन लेते हुए ज्ञापन जारी किया जाये। फाबा से संबंधित आवंटन-व्यय, बैंक लेन-देन, रोकड़ बही, पंजियां, फाइलें, कार्य पंजियों के अतिरिक्त **PFMS, MIS, Portals** से जानकारी की हार्ड एवं सॉफ्टकॉपी में एकत्र करेगा।
 5. लेखापरीक्षा के दौरान आधार अभिलेखों का स्कैनिंग समुचित रूप से करें ताकि दुबारा आधार अभिलेखों के लिए इकाई पर नहीं जाना पड़े।
 6. लेखापरीक्षा दल कोई भी ज्ञापन जारी नहीं करेगा। लेखापरीक्षा के दौरान वांछित अभिलेखों को स्पष्ट रूप से इंगित करते हुए मांग की जाएं। योजना/नियम अनुसार संधारित होनेवाले अभिलेख/पंजी संधारित न होने एवं वांछित अभिलेख प्रस्तुत नहीं करने पर तत्काल समूह अधिकारी को सूचित करें।
 7. फाबा की लीड पार्टी द्वारा दिए गए निर्देशों/चेकलिस्ट, ए.डी.एम के अनुसार कार्य किया जाना सुनिश्चित करें।
 8. श्री अजय कुमार सिंह, व.ले.प.अ एवं श्री अजय कुमार ब्यास, स.ले.प.अ द्वारा दिनांक 11.04.2022 से 13.04.2022 तक संबंधित कार्य में संलग्न अन्य सभी दलो के सदस्यों को KD Collection से संबंधित पहलुओ पर प्रशिक्षण प्रदान किया जावेगा